अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली के लिए मसौदा

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक जनवरी, 2010

फा. सं. 45–230/2005 गृह – निजी सुरक्षा (विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उप धारा (i) के साथ पठित उसी की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम अर्थात; अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली, 2010 बनाते हैं

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :–

1) इन नियमों को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली, 2010 कहा जा सकेगा ।

2) ये नियम इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ – इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियम) अधिनियम, 2005 ;

(ख) ''एजेंसी'' से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा एजेंसी ;

(ग) ''नियंत्रण प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अन्तर्गत घोषित ''नियंत्रण प्राधिकारी''

(घ) ''फार्म'' से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न फार्म ;

(ङ) ''लाइसेंस'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया लाइसेंस ।

(च) इन विनियमों में शब्द और अभिव्यक्तियाँ परिभाषित नहीं की गई है लेकिन इसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ समान होगा जैसा कि क्रमशः अधिनियम में उसके लिए निर्धारित किया गया है ।

3. आवेदन पत्र के पूर्ववृत्त की जाँच पड़ताल–

1) प्रत्येक आवेदक नए लाइसेंस जारी करने अथवा लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करते समय अपने पूर्ववृत्त की जाँच पड़ताल के लिए फार्म–I संलग्न करेगा । यदि आवेदक एक कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का एक संगठन है तो प्रत्येक स्वामित्व अथवा अधिकतम शेयर होल्डर, पार्टनर अथवा कम्पनी के निदेशक यदि वे भी आवेदक हैं, के लिए आवेदन के साथ फार्म–I संलग्न करेगा ।
2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर नियंत्रण प्राधिकारी यदि अनिवार्य समझे तो आवेदन के मूल तथ्यों एवं आवेदक के अन्य ब्यौरे की जाँच पड़ताल करेगा ।
3) जहाँ एजेंसी अपना कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए इच्छुक है नियंत्रण प्राधिकारी सम्बन्धित जिले के जिला पुलिस अधीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, इस प्रयोजन हेतु उनके पास लाइसेंस के लिए आवेदन की एक प्रतिलिपि संलग्नकों के साथ, रिपोर्ट और सत्यापन के लिए भेजी जाएगी ।
4) प्रत्येक व्यक्ति जिनके नाम से पूर्ववृत्त फार्म भरा गया है, के पूर्ववृत्त की जाँच के अलावा जिला पुलिस अधीक्षक निम्नलिखित जानकारी भी प्राप्त करेगा ।
   (क) क्या कम्पनी अथवा आवेदक ने पहले किसी निजी सुरक्षा एजेंसी का संचालन व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्यों के साझेदारी के साथ किया था और यदि हाँ तो इसका विवरण दें; और
   (ख) क्या आवेदक किसी प्रकार की विशेष शैक्षिक योग्यता अथवा कुशलता रखता है, जिससे उनके निजी सुरक्षा एजेंसी के संचालन में सुविधा होगी ।

4. सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त की जाँच –

1) किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के रूप में रोजगार देने अथवा काम में लगाने से पहले अभिकरण को ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में और निम्नलिखित किसी एक अथवा एक से अधिक के सम्बन्ध में संतुष्ट होना होगा ।

(क) स्वयं द्वारा व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जाँच करके ।

(ख) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जाँच प्रमाणपत्र को आधार मानकर ।

बशर्ते कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र वैध हो और एजेंसी के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है जैसा कि नीचे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है । बशर्ते कि यह वैध है और किसी अन्य सूत्रों से व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में एजेंसी के पास कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है ।

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक अथवा इसके समतुल्य या उच्च रैंक के अधिकारी के प्राधिकार में हस्ताक्षरित पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट को आधार मानते हुए ।

2) व्यक्ति जो सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के रूप में रोजगार पाने के इच्छुक है, एजेंसी को फार्म–II जमा करेंगे । यदि व्यक्ति पिछले पाँच वर्षों के दौरान एक जिला से अधिक जिला में ठहरा है तो जिला की संख्या के अनुसार फार्म की संख्या होगी ।

3) एजेंसी भरे गए विवरण की वास्तविकता की जाँच स्वयं या संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को फार्म भेजकर करेगा ।

4) राज्य सरकार फार्म तथा पुलिस द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सहित सेवा के लिए शुल्क जमा करने का तरीका निर्धारित करेगा ।

5) स्थान विशेष जहाँ व्यक्ति निवास कर चुकने या करने का दावा करता है तो पुलिस वहाँ का दौरा करके व्यक्ति की पहचान करेगा और चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जाँच करेगा । इसके अतिरिक्त स्थान के प्रतिष्ठित निवासियों से उसकी पहचान और प्रतिष्ठा का पता लगाएगा । वे चरित्र एवं पूर्ववृत्त जाँच रिपोर्ट को तैयार करने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन रिकार्ड की जाँच तथा जिला पुलिस मुख्यालय में अन्य रिकार्डो की जाँच करेंगे । इस रिपोर्ट में चरित्र एवं पूर्ववृत्त फार्म तथा जाँच अवधि के दौरान जीवनयापन के साधन सहित उनकी गतिविधियों के बारे में सामान्य रिपोर्ट में व्यक्ति के प्रत्येक दावे पर पुलिस की टिप्पणी शामिल होगी । व्यक्ति के खिलाफ यदि किसी भी समय कोई दांडिक मामला पंजीकृत किया गया हो अथवा उसके खिलाफ किसी दण्डनीय अपराध के लिए उन्हें सजा मिली हो, पुलिस विशेषतौर पर विवरण देगा ।

6) यदि निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा जाँच के पश्चात किसी व्यक्ति को सेवा में लगाया जाता है और नियुक्त किया जाता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है, पुलिस विशेष रूप से इस पर टिप्पणी करेगा ।

7) पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि चरित्र तथा पूर्ववृत्त फार्म प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर चरित्र तथा पूर्ववृत्त रिपोर्ट जारी की जाएगी ।

8) किसी व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत्त से संबंधित पुलिस की रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी । चरित्र और पूर्ववृत्त के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिफाफे पर सुरक्षा एजेंसी के पदनामित अधिकारी को संबोधित करना होगा जिसने चरित्र व पूर्ववृत्त के जाँच के लिए आवेदन भेजा है ।

9) चरित्र और पूर्ववृत्त जाँच रिपोर्ट एक बार जारी होने पर तीन वर्षों तक वैध रहेगी ।

10) पुलिस जाँच के आधार पर और उनके स्वयं के जाँच के बाद एजेंसी फार्म–III में चरित्र प्रमाण पत्र जारी करेगी और यह प्रमाण पत्र उस एजेंसी द्वारा उस व्यक्ति की उस एजेंसी में सेवा समाप्त होने के बावजूद भी वापस नहीं लिया जाएगा ।

5. सुरक्षा प्रशिक्षण –

1) नियंत्रण प्राधिकारी सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा । प्रशिक्षण की अवधि, अध्ययन कक्ष अनुदेश के लिए कम से कम सौ घंटे और क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए कम से कम साठ घंटे की होगी, इसका विस्तार कम से कम बीस कार्य दिवसों की होगी । भूतपूर्व सैनिक और पूर्व पुलिस कर्मियों के लिए केवल एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम में भाग लेना जरूरी होगा जिसकी अवधि अध्ययन कक्ष अनुदेश के लिए कम से कम चालीस घंटे और क्षेत्रीय प्रशिक्षण के लिए कम से कम सोलह घंटे होगी जिसका विस्तार कम से कम सात कार्य दिवसों का होगा ।

2) प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, अर्थात् :–

क) सार्वजनिक में आचरण और वर्दी सही ढंग से पहनना ;

ख) शारीरिक स्वस्थता प्रशिक्षण ;

ग) भौतिक सुरक्षा, सम्पत्तियों की सुरक्षा, भवन तथा अपार्टमेंट की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा ;

घ) अग्निशमन ;

ङ) भीड़ पर नियंत्रण ;

च) पहचान कार्ड, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जाँच ;

छ) पहचान कागजातों, शस्त्र लाइसेंसों, यात्रा कागजातों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में सामान्य तौर पर प्रयुक्त अंग्रेजी के वर्ण और अरबी अंकमाला पढ़ने और समझने में समर्थ होना चाहिए ;

ज) तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों की पहचान ;

झ) प्राथमिक उपचार ;

ञ) संकट अनुक्रिया और आपदा प्रबन्धन ;

ट) बक्तरबन्द गाड़ी के ड्राइवर के लिए सुरक्षात्मक ड्राइविंग (अनिवार्य) और अन्यों के लिए वैकल्पिक ;

ठ) अप्रतिबन्धित हथियारों और अग्नि शस्त्रों (वैकल्पिक) का प्रचालन और हैंडलिंग ;

ड) भारतीय दण्ड संहिता की प्रारंभिक जानकारी, निजी सुरक्षा, पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रचालन अनुभाग) विस्फोटक अधिनियम (प्रचालन अनुभाग) ;

ढ) पुलिस तथा सैनिक बलों के रैंकों के बैज ;

त) सार्वजनिक तथा पुलिस में प्रयोग में होने वाले विभिन्न प्रकार के आयुधों की पहचान ;

थ) सुरक्षा उपस्कर तथा उपकरण का प्रयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और बचाव उपस्कर) ; और

द) नेतृत्व तथा प्रबन्धन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)

3) सुरक्षा गार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक भाग लेना होगा । प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान या संगठन द्वारा फार्म–IV में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

4) सक्षम प्राधिकारी समय–समय पर स्वयं अथवा अपने अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे । सामान्यता ऐसे प्रशिक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार आयोजित किए जाएंगे ।

5) सभी एजेंसी निर्धारित तरीके से सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची नियंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।

6. सुरक्षा गार्डों की शारीरिक स्वस्थता का मान –

1) व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के लिए नियुक्ति का पात्र होगा यदि वह नीचे विनिर्दिष्ट शारीरिक स्वस्थता के मान की पूर्ति करता हों :–

(क) ऊँचाई, 160 से.मी. (महिलाओं के लिए 150 से.मी.), भार – ऊँचाई और भार सारणी के अनुसार, वक्ष 80 से.मी. तथा विस्तारण 4 से.मी. महिलाओं के लिए कम से कम अपेक्षित वक्ष माप की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) दृष्टि – दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 सुधार के साथ अथवा सुधार के बिना, वर्णान्धता से मुक्त, पहचान करने में समर्थ हो और सुरक्षा उपकरणों में सज्जित रंग की पहचान और सुरक्षा उपकरणों में प्रदर्शित अंग्रेजी वर्ण तथा अरबी अंकमाला को पढ़ना जानता हो और समझता हो ।

(ग) उम्मीदवार का नाक नी (अन्तर्वक जानु) और फ्लैट फूट (सपाट पाँव) न हों और वह छह मिनट में एक किलो मीटर दौड़ सकता हो ।

(घ) श्रवण : किसी प्रकार की त्रुटि न हो ; बोली व अलार्म जो कि सुरक्षा यंत्र से बजे उसको सुन सके और उत्तर दे सकें ।

(ङ) उम्मीदवार छानबीन करने और कार्यों के संचालन में सामर्थ्य और निपुण हों तथा आवश्यक मामले में व्यक्ति विशेषों के नियंत्रण के लिए बल का प्रयोग ।

2) उम्मीदवार किसी प्रकार के लक्षण से मुक्त हो या किसी संसर्ग रोग या संक्रामक रोग से पीड़ित न हो । वह किसी ऐसे रोग से पीड़ित न हों, जो गंभीर हो सकता है अथवा जो उसे सेवा के लिए अयोग्य बना सकता हो या जो लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो ।

3) एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीन कार्यरत प्रत्येक सुरक्षा गार्ड को भर्ती स्तर के लिए निर्धारित उनकी शारीरिक मान को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रत्येक बारह माह बाद चिकित्सा जाँच करवानी होगी जिससे कि भर्ती के समय निर्धारित शारीरिक मानक बनाए रखें ।

7. पर्यवेक्षकों के लिए प्रावधान –

1) पंद्रह निजी सुरक्षा गार्डों के कार्यो का पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक होगा ।

2) ऐसे मामले में जहाँ निजी सुरक्षा गार्डों की सुरक्षा कार्य विभिन्न अहातों में होती है और उनके कार्य को किसी एक पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना संभव नहीं है तो एजेंसी ऐसे में एक से अधिक पर्यवेक्षक तैनात कर सकता है जो कि कम से कम प्रत्येक छहः निजी सुरक्षा गार्डों के लिए सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण हेतु एक पर्यवेक्षक उपलब्ध होगा ।

8. लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करने का तरीका –

1) अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (1) के तहत लाइसेंस की स्वीकृति के लिए किसी एजेंसी द्वारा प्रत्येक आवेदन फार्म V में निर्धारित प्रपत्र में नियंत्रण प्राधिकारी को करना होगा ।

2) उप नियम (1) के संदर्भ में प्रत्येक आवेदन के साथ धारा 7 के खण्ड (3) के तहत निर्धारित अनुसार शुल्क के भुगतान के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक संबंधित राज्य नियंत्रण प्राधिकारी, जिसे आवेदन दिया गया है, के पक्ष में लेकर संलग्न करना होगा ।

3) उप–नियम (1) में संदर्भित प्रत्येक आवेदन को या तो खुद नियंत्रण प्राधिकारी को सुपुर्द करना होगा अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजना होगा ।

4) उप–नियम (1) में संदर्भित आवेदन की प्राप्ति पर नियंत्रण प्राधिकारी उस पर उनके द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि लिखकर आवेदक को पावती देगा ।

9. लाइसेंस की स्वीकृति –

1) नियंत्रण प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त करने के पश्चात नियम 8 के उप नियम (1) के तहत सभी औपचारिकताएँ पूरी करने तथा आवदेक की उपयुक्तता के बारे में तथा जिस क्षेत्र में संचालन के लिए आवदेन किया है, के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने की आवश्यकता पर भी खुद संतुष्ट होने के पश्चात फार्म VI में निजी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंस स्वीकृत करेगा ।

2) नियंत्रण प्राधिकारी या तो स्वयं अथवा अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी निजी सुरक्षा एजेंसी के निजी सुरक्षा गार्डों तथा पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण तथा कौशलों का निरीक्षण कर सकता है ।

3) नियंत्रण प्राधिकारी ऐसी सुरक्षा एजेंसियों जो आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तो पर दृढ़ नहीं हैं, के लाइसेंस को जारी रखने अथवा अन्यथा इस पर समीक्षा कर सकते हैं ।

10. लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए शर्तें –

1) लाइसेंस धारी को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुसार और उनके द्वारा तैयार समय सीमा के भीतर निजी सुरक्षा सेवा संबंधी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा ।

2) लाइसेंस धारी को नियंत्रण प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर नाम, माता–पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थाई पता, पत्राचार के लिए पता तथा बनाए गए एजेंसी के प्रत्येक व्यक्ति के मूल व्यवसाय के बारे में बताना होगा ।

3) लाइसेंस धारी को गठित एजेंसी के व्यक्तियों के पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने तथा प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में ऐसे परिवर्तन की तिथि से सात दिनों के भीतर नियंत्रण प्राधिकारी को बताना होगा ।

4) लाइसेंस धारी को निजी सुरक्षा एजेंसी के रूप में अपने कार्यों के निष्पादन के दौरान गठित एजेंसी के व्यक्तियों के खिलाफ अथवा निजी सुरक्षा गार्ड अथवा एजेंसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अथवा कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप

होने पर नियंत्रण प्राधिकारी को तत्काल सूचित करना होगा । ऐसी सूचना की एक प्रति उस पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को भी देनी होगी जहाँ आरोपित व्यक्ति रहता है ।

5) प्रत्येक लाइसेंस धारी को जिस आधार पर लाइसेंस स्वीकृत की गई है, की शर्तों के अनुसार नियमों में बताए अनुसार निजी सुरक्षा गार्डों और उनके प्रशिक्षण के लिए शारीरिक मान की आवश्यकताओं का पालन करना होगा ।

6) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय लाइसेंस की स्वीकृति के लिए भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।

11. **लाइसेंस का नवीकरण –**

1) प्रत्येक एजेंसी को लाइसेंस के नवीकरण के लिए नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन करना होगा ।

2) लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रभार्य शुल्क वही होगा जो लाइसेंस की स्वीकृति के लिए था ।

3) लाइसेंस के नवीकरण के आवेदन के लिए फार्म वही होगा जो मूल लाइसेंस के आवेदन के लिए था ।

12. **लाइसेंस के नवीकरण के लिए शर्तें** – लाइसेंस का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जाएगा :–

क) आवेदक नियंत्रण प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में अपने व्यावसायिक स्थान को बनाए रखता हो ।

ख) आवेदक अपने निजी सुरक्षा गार्डों तथा पर्यवेक्षकों के लिए अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (2) के तहत अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता को सुनिश्चित करता हो ।

ग) आवेदक लाइसेंस के शर्तों का पालन करता हो ।

घ) पुलिस को आवेदक के लाइसेंस के नवीकरण के लिए कोई आपत्ति न हो ।

13. **अपील तथा प्रक्रिया –**

1) अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक अपील फार्म VII पर व्यथित व्यक्ति अथवा प्राधिकृत वकील के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए तथा उसे

व्यक्तिगत रूप में अपील अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा अथवा रजिस्टर डाक द्वारा उनको भेजना होगा ।

2) नियंत्रण प्राधिकारी अधिनियम की धारा 14 के तहत दर्ज की जानी वाली अपील के लिए शुल्क तथा तरीका जिस प्रकार से शुल्क का भुगतान किया जाना है, निर्धारित कर सकता है ।

14. **एजेंसी द्वारा रख रखाव किया जाने वाला रजिस्टर** – एजेंसी द्वारा अधिनियम के तहत रख रखाव किए जाने वाला अपेक्षित रजिस्टर फार्म VIII में होना चाहिए ।

15. **फोटो पहचान पत्र** –

1) धारा 17 की उप धारा 2 के तहत एजेंसी द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान पत्र फार्म IX में होना चाहिए ।

2) फोटो पहचान पत्र में निजी सुरक्षा गार्ड का रंगीन फोटो, पूरा नाम, एजेंसी का नाम तथा व्यक्तिगत पहचान संख्या और किसने पहचान पत्र जारी किया है, की पूरी जानकारी होनी चाहिए ।

3) फोटो पहचान पत्र में एजेंसी में व्यक्तिगत की स्थिति तथा फोटो पहचान पत्र की वैधता की तिथि साफ–साफ दर्शानी होगी ।

4) फोटो पहचान पत्र को अद्यतन बनाए रखना होगा और विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन को उसमें दर्ज करना होगा ।

5) निजी सुरक्षा गार्ड को जारी किए गए फोटो पहचान पत्र को जारी करने वाले एजेंसी को लौटाना होगा यदि वह एजेंसी की सेवा में नहीं है ।

6) फोटो पहचान पत्र के खो जाने अथवा चोरी हो जाने पर उसकी जानकारी तत्काल जारी करने वाले एजेंसी को देनी होगी ।

16. **अन्य शर्तें** –

1) एजेंसी अधिदेशों के न होते हुए भी उनके निजी सुरक्षा गार्डों को वर्दी पहननी होगी चाहे वह ड्यूटी पर हो या न हो । प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेंसी को वर्दी जारी करनी होगी और उसे अपने सुरक्षा गार्डों को निम्नलिखित अनुसार पहनने के लिए बाध्यकर बनाना होगा :–

क) एजेंसी की पहचान वाले भुजा बैज;

ख) संगठन में उसका स्तर दर्शाता शोल्डर अथवा चेस्ट बैज दर्शाना होगा;

ग) सीटी रस्सी से लगा सीटी और उसे बांयी जेब में रखना होगा;

घ) आइलेट तथा लेस वाले जूते;

ड.) हैड गियर जिसमें भी एजेंसी की पहचान वाले मार्क होना चाहिए ।

2) ड्यूटी पर रहने के दौरान निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा पहने कपड़े ऐसे होने चाहिए कि उसके दक्ष कार्य निष्पादन में कोई बाधा न पहुँचे । विशेषरूप से वह न तो ज्यादा तंग होना चाहिए और न ही ज्यादा ढीला जिससे कि हाथ–पाँव हिलाने अथवा मोड़ने मे कोई रूकावट न हो ।

3) प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड को अपने साथ नोटबुक तथा लिखने की सामग्री रखनी होगी ।

4) प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड जब वह सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हो, को कमर से ऊपर के कपड़ों के बाहर सहजता से दिखने वाले अधिनियम की धारा 17 के तहत जारी किए गए फोटो पहचान पत्र दर्शाना होगा ।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भूपेन्द्र सिंह
उप राज्यपाल
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
पी. आर. सी. नायर
(पी. आर. सी. नायर)
सहायक सचिव (गृह)
फा. सं. 45–230/2005–गृह